न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/82/2025	2025/179	03.06.2025	25.08.2025

1. जयसिंह पुत्र धर्मसिंह
2. श्रीमती तुलसी देवी पत्नि जयसिंह
   निवासीयान गूंदपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान
3. श्रीमती चन्दा देवी पत्नि दयाराम
   निवासीयान प्लाट न0 8ए, नियर तथास्तू पब्लिक स्कूल, जनता कालोनी, मुंगस्का, तहसील व जिला अलवर राजस्थान

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. बुद्धी देवी पत्नि स्व0 श्री धर्मसिंह निवासी गूंदपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

—असल रेस्पोडेंट

1. दयाराम पुत्र धर्मसिंह निवासी प्लाट न0 8ए, नियर तथास्तू पब्लिक स्कूल, जनता कालोनी, मुंगस्का, तहसील व जिला अलवर राजस्थान

—तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 28.03.2025 प्र0सं0 3/18 को बमुराद मंसुख फरमाये जाने बाबत्

उपस्थितिः—

01—श्री रामनिवास सैनी —वकील अपीलार्थीगण

02—श्री जयदीप यादव —वकील असल रेस्पोडेंट

03—श्री जीतू शर्मा —वकील तरतीबी रेस्पोडेंट

—:: निर्णय ::—

अपीलाण्ट्स द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 28.03.2025 प्रकरण संख्या 3/18 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभयपक्ष द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित निर्णय दिनांक 28.03.2025 तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का हैं जिससे अपील को सुनने का न्याय क्षेत्र न्यायालय श्रीमान को हैं। तहत न्यायालय विवादित निर्णय मनमाना व कयासीया तौर पर पारित किया गया हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश न तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है और न ही विधिक मापदंडों का पालन करते हुए पारित किया गयाः है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की वास्तविक स्थिति, साक्ष्यों की संपूर्णता एवं अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों की सम्यक रूप से विवेचना किए बिना एकतरफा एवं पूर्वग्रह से ग्रसित निर्णय पारित किया गया है, जिससे उक्त आदेश न्याय की मूलभूत अवधारणाओं का उल्लंघन करता है। अतः उक्त विवादित आदेश न्यावाचित, न्यायसंगत एवं वैधानिक नहीं होने के कारण अपास्त किया जाना आवश्यक है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण व तरतीबी रेस्पोडेंट को सम्यक रूप से तलब नहीं किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त है। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 5. एवं 9 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28.03.

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

2025 पूर्णतः नियम विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। दिनांक 28.03.2025 का आदेश बिना समुचित पारिवारिक काउंसलिंग कराए पारित किया गया, जो कि "राजस्थान माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण नियम, 2010" के नियम 10 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि यथासंभव पहले सुलह का प्रयास किया जाना आवश्यक था। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का सुलह का प्रयास नहीं किया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त हैं। तहत न्यायालय द्वारा असल असल रेस्पोडेंट को 6000/- रूपये (प्रत्येक) मासिक दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं जबकि अधिकतम भरण पोषण भत्ता, जिसका संदाय करने के लिए अधिकरण विरोधी पक्षकार को आदेश कर सकेगा, अधिकतम दस हजार रूपये प्रतिमास के अध्ययधीन रहते हुए, ऐसी रीति से नियत किया जायेगा कि वह, आवेदक या आवेदको को विरोधी पक्षकार के परिवार के सदस्यो में गिनते हुए, विरोधी परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित, समस्त स्रोतो से उसकी मासिक आय से अधिक न हो। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर ना करते हुए विवादित निर्णय पारित किया गया है। जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त हैं। जिस संपत्ति (आवास) को लेकर विवाद है, वह विवाद दीवानी प्रकृति का है, जिसकी वैधानिक सुनवाई सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि उपखण्ड अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में। फिर भी उक्त निर्णय में सम्पत्ति अधिकारों पर निर्देश देना नियम विरुद्ध है। जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त हैं। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र में तथ्यों को तोड मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। असल रेस्पोडेंट स्वयं सक्षम, संपत्ति युक्त तथा भरण पोषण हेतु आश्रित नहीं है। जिस तथ्य पर तहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त हैं। अपीलार्थीगण अत्यंत आदरभाव एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी मातां असल रेस्पोडेंट श्रीमती बुद्धी देवी को अपने साथ रखने के इच्छुक हैं तथा उन्होंने कभी भी असल रेस्पोडेंट को अपने पास रखने अथवा उनकी देखभाल करने से इन्कार नहीं किया है। अपीलार्थीगण सदैव असल रेस्पोडेंट की सेवा, भरणपोषण एवं देखेंख क लिए तत्पर रहे हैं। तथापि, असल रेस्पोडेंट स्वेच्छा से अपने छोटे पुत्र श्री सूरजसिंह के पास निवास कर रही हैं, जो कि उनका निजी निर्णय है, और अपीलार्थीगण की ओर से कभी भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। अतः यह स्थापित होता है कि असल रेस्पोडेंट अपीलार्थीगण के पास रहने हेतु स्वयं इच्छुक नहीं हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी वर्तमान में जिस 'नौहरे' (संयुक्त पैतृक आवासीय परिसर में। निवासरत हैं, वह संपति संयुक्त पारिवारिक स्वामित्व में है, जो कि सभी पुत्रों की साझा संपत्ति है। उक्त संपत्ति के स्वामित्व अपीलार्थीगण सहित), कब्जे एवं बंटवारे को लेकर दीवानी वाद माननीय जिला दीवानी न्यायालय, अलवर में विधिवत रूप से लंबित है। अतः जब तक उक्त संपत्ति का विधिक रूप से अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक असल रेस्पोडेंट द्वारा उस सम्पत्ति पर एकाधिकारपूर्वक निवास करना अथवा अपीलार्थियों को उस सम्पत्ति से वचित करने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण द्वारा असल रेस्पोडेंट को भरणपोषण या निवास से वंचित करने का कोई कृत्य नहीं किया गया है, अपितु असल रेस्पोडेंट द्वारा स्वयं की इच्छा से अपीलार्थीगण से पृथक रहकर छोटे पुत्र के पास निवास किया जा रहा है, और जिस सम्पत्ति में निवास किया जा रहा है, वह वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। अतः असल रेस्पोडेंट को उक्त आधार पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रतिकूल आदेश दिलवाना विधिसम्मत नहीं है।" जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत किसी को भी किसी स्थाई या अस्थाई सम्पत्ति से बेदखल करने का आदेश प्रदान करने का अधिकार नहीं है परन्तु अदालत मातहत ने अपने आदेश द्वारा दादालाई व स्वअर्जित सम्पत्ति से बेदखल करने का आदेश पारित किया है जबकि विधिक रूप से बेदखल कर दखल दिलाने का आदेश विद्वान अधिनस्थ न्यायालय पारित नहीं कर सकता हैं इसलिए पारित आदेश डिक्री की जद में आता हैं जो काबिले खारिज हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि असल रेस्पोडेंट के अपीलार्थीगण के अलावा अन्य पुत्र व पुत्रवधु व पुत्रीया है लेकिन असल रेस्पोन्डेंट द्वारा जानबुझकर अपीलार्थीगण से रजिश रखने के कारण केवल मात्र अपीलार्थीगण के विरूद्ध भरण पोषण प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया गया है तथा तहत न्यायालय द्वारा बालको या रिश्तेदारो को पक्षकार बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं। जो तथ्य काबिले गौर श्रीमान है जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त हैं। असल रेस्पोन्डेंट देशी दवा विक्रय करने का कार्य करती हैं एवं राजस्थान सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह ₹1150/- (एक हजार एक सौ पचास रुपए मात्र की राशि) नियमित्त रूप से प्राप्त होती है। जिससे असल रेस्पोन्डेंट अच्छी आय अर्जित करती हैं। जिससे यह बखूबी साबित व प्रमाणित असल रेस्पोन्डेंट आर्थिक रूप से सुदृढ महिला हैं तथा अपना भरण पोषण

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

करने में सक्षम है जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त है। अपीलार्थीगण द्वारा असल रेस्पोन्डेंट के साथ कभी भी ना तो मारपीट की गई है तथा ना ही किसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताडित किया गया हैं। असल रेस्पोन्डेंट द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य गलत मिथ्या व असत्य दर्ज कराये गये हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित निर्णय काबिले अपास्त है। वर्तमान प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2025 विधि के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश बिना बचाव पक्ष को समुचित अवसर दिये, बिना बहस सुने तथा नोटिस की विधिवत तामील और व्यक्तिगत तलब के बगैर पारित किया गया है। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। अपीलार्थियों को हाल ही में कुछ ऐसे प्रासंगिक एवं निर्णायक दस्तावेज साक्ष्य प्राप्त हुए है. जो अपील में विवादित मुद्दों के निपटारे के लिए आवश्यक है तथा जो यथोचित कारणों से मूल प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अत अपीलार्थीगण यह प्रार्थना करते हैं कि न्यायालय न्यायहित में उक्त अतिरिक्त साक्ष्यों को ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करे, ताकि प्रकरण का समुचित एवं निष्पक्ष निर्णय किया जा सके।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर का विवादित निर्णय दिनांक 28.03.2025 अपास्त फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 सं0 1 ने अपील प्रार्थना पत्र का जवाब पेश ना कर दौराने बहस कथन किया कि असल रेस्पोडेंट एकल विधवा महिला है व वरिष्ठ नागरिक की तारीफ में आती है। असल रेस्पोडेंट के पति का वर्ष 2018 में देवलोकगमन हो चुका है। अपीलाण्ट् स० 1 (जयसिंह) व तरतीबी रेस्पोडेंट (दयाराम) असल रेस्पोडेंट के दो जाईन्दा पुत्र है। इसके अतिरिक्त असल रेस्पोडेंट के 02 पुत्रवधू क्रमश तुलसी देवी पत्नि जयसिंह अपीलाण्ट् स० 3 चन्दा देवी पत्नि दयाराम है। असल रेस्पोडेंट के दोनों पुत्रों में से अपीलाण्ट् स० 1 (जयसिंह) भारतीय सेना से सुबेदार के पद से सेवानिवृन हो चुका है। तथा तरतीबी रेस्पोडेंट (दयाराम) वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत है। असल रेस्पोडेंट के पति द्वारा वर्ष 1998 में ग्राम गुदपुर एम.आई.ए. अलवर में आवास हेतु मकान का निर्माण कराया था। उक्त मकान पर अपीलाण्ट् स० 1 (जयसिंह) द्वारा बलपूर्वक जबरदस्ती से कब्जा कर लिया गया तथा मुझ असल रेस्पोडेंट को मेरे पति द्वारा बनाये गये आवासीय मकान से बेदखल कर दिया गया है। तथा वर्तमान में असल रेस्पोडेंट अपने छोटे पुत्र सूरज सिंह के नौहरे (अतिरिक्त घरेलू सामान, चारागृह, पशुनिवास, ईधन आदि के उपयोग हेतु सुरक्षित भूमि) में रहने को मजबूर है। मेरा छोटा पुत्र सूरज सिंह जिसकी कि आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर है द्वारा ही मेरा गुजर–बसर किया जा रहा है। मेरे द्वारा अनेकों बार अपने पति द्वारा निर्मित मकान में घुसने का प्रयास किया गया किन्तु पुत्रों व पुत्रवधुओं द्वारा दुत्कार कर भगा दिया जाता हैं। जबकि उक्त मकान की दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य मेरे पति की मृत्यु के बाद स्वयं मैंने अपने पैसों से कराया गया है। मकान के निर्माण के समय असल रेस्पोडेंट के पास भूतल पर दो कमरों में रहकर निवास किया जाता रहा था। अपीलार्थीगण अत्यन्त झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो कि अपनी बुजुर्ग माता/सास का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। असल रेस्पोडेंट शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं आये दिन बीमार रहती हैं। अपीलाण्ट् स० 1 व अपीलाण्ट् स० 3 द्वारा इसी बदनियति के चलते सम्पूर्ण मकान पर कब्जा किया जाकर असल रेस्पोडेंट को बेदखल कर दिया गया है तथा अपीलाण्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेंट उक्त मकान को स्वयं के नाम करने का अकसर दबाव डालते रहते हैं तथा ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं आदि।" जिस पर दिनांक 28.03.2025 का अप्रीलार्थीगण की बहस बंद करते हुए विवादित निर्णय पारित किया गया कि अपीलाण्ट् संख्या 1 व तरतीबी रेस्पोडेंट संख्या 1 अपनी माता को भरण पोषण के लिये 6000/– रूपये प्रतिमाह (प्रत्येक) देंगे एवं अपीलाण्ट्स एवं उनकी पत्नियां अपनी माता/सास के घर में निर्वाध रूप से रहने व उनके स्वतंत्र घर के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उतपन्न नहीं करेंगे। माता के साथ अभद्र व्यवहार/दुर्व्यवहार नहीं करेंगे एवं चिकित्सा व्यवस्था दवाई, दुध, फल, कपडे, भोजन इत्यादि का समय–समय पर प्रबंध करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई मानसिक प्रताडना व शारीरिक कष्ट नहीं देंगे। अतः उक्त आदेशों को यथावत रखतें हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

तरतीबी रैस्पो0 सं0 1 ने लिखित जवाब/बहस अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पारित आदेश, जिसमें अपीलार्थियों व तरतीबी रेस्पोडेंट जयसिंह एवं दयाराम को भरण–पोषण हेतु रु6000/–प्रतिमाह(प्रत्येक) अदा करने तथा असल रेस्पोडेंट को उनके कथित आवासीय मकान में निर्वाध निवास का अधिकार दिया गया, विधि विरूद्ध एवं अधिकार क्षेत्र से परे जाकर पारित किया गया हैं। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंधन करता है तथा राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण नियम, 2010 का अनुपालन नहीं करता। असल रेस्पोडेंट बुद्धी देवी ने अधिनियम, 2007 की धारा 4 एवं 5 के अन्तर्गत भरण–पोषण का दावा प्रस्तुत किया। उन पर आरोप लगाया कि उन्हें मकान से बेदखल किया गया तथा अपीलार्थियों ने भरण–पोषण में सहयोग नहीं किया। बिना समुचित साक्ष्य, बिना काउंसलिंग एव बिना सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित कर दिया गया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अधिनियम 2007 केवल भरण–पोषण से संबंधित है। स्वामित्व या कब्जे का प्रश्न केवल सिविल न्यायालय तय कर सकता है एवं धारा 9(2) अधिनियम, 2007 के अनुसार अधिकतम रु10,000/– तक आदेशित किया जा सकता है। वर्तमान आदेश रु12,000/– (दोनों पुत्रों पर रु6000–रु6000) की सीमा से बाहर है। सभी चारों संतानों को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि चारों संतानों पर समान दायित्व हैं। तरतीबी रेस्पोडेंट दयाराम भारतीय सेना में कार्यरत है, अकसर ड्यूटी पर रहता है एवं तरतीबी रेस्पोडेंट संख्या 1 पर 14 लाख का ऋण है, जिसकी मासिक किश्त रु28,500/– है। मोटरसाईकिल ऋण की किश्त रु3,400/–अलग से है। पत्नि बीमार रहती है (थाइरॉइड, गठिया–बाय, बचपन से पैर में समस्या)। दो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आधी सैलेरी ऋण अदायगी मे चली जाती है, शेष से केवल परिवार चलता है। इस परिस्थिति में रु1000–1500/–प्रतिमाह से अधिक देना संभव नहीं। अपीलार्थी जयसिंह एक पेंशनर, सीमित पेंशन से बमुश्किल गुजारा। दो पुत्र बेरोजगार, परिवार के 5 सदस्य पेंशन पर आश्रित। पत्नि बीमार (शैढ व गठिया–बाय की समस्या)। पिता के जीवनकाल में सेवा व आर्थिक सहयोग दिया, बहनों के भात व मृत्युभोज में खर्च किया। केवल रु1000–1500/–मासिक वहन करने की क्षमता। असल रेस्पोडेंट वृद्धावस्था पेंशन रु1150/–प्रतिमाह प्राप्त करती हैं व देसी दवा विक्रय से अतिरिक्त आय है। छोटे पुत्र सूरज सिंह के साथ स्वेच्छा से रह रही है। मेडिकल सुविधा भारतीय सेना से उपलब्ध है, फिर भी उसका लाभ नहीं लेती। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.03.2025 पूर्णतः विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के विपरीत एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भरण–पोषण राशि निर्धारित करते समय आय, पारिवारिक दायित्व एवं अधिनियम की सीमा का उल्लंघन हुआ। असल रेस्पोडेंट की स्थिति को बढा–चढाकर प्रस्तुत किया गया, जबकि वास्तविकता विपरीत है। छोटे भाई द्वारा दुर्भावना व पैतृक सम्पत्ति हड़पने की मंशा से यह कार्यवाही करवाई गई हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर का दिनांक 28.03.2025 आदेश निरस्त किया जाए। न्यायालय परिस्थितियों व विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया जाकर कानून की मंशा देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 28.03.2025 में माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवं कल्याण नियम 2007 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट् संख्या 01 व तरतीबी रेस्पोडेंट संख्या 01 अपनी माता असल रेस्पोडेंट संख्या 01 को भरण–पोषण के लिए रु6000/–प्रतिमाह(प्रत्येक) देगें। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपीलाण्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई अवसर दिये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया गया, जिसमें सभी पुत्रों को पक्षकार नहीं बनाया जाकर केवल दो पुत्रों को ही पक्षकार बनाया गया। अपीलाण्ट को निष्पक्ष सुनवाई (Fair Hearing) अवसर नहीं दिया गया हैं। भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 9(2) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि अधिकतम रु10000/–प्रतिमाह तक ही भरण पोषण की राशि निर्धारित की जा सकती हैं एवं आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय दोनो पक्षों की आय–व्यय, आवश्यक जरूरतों एवं आय के स्त्रोतों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। साथ ही सभी पुत्रों को पक्षकार बनाया जाकर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। उक्त सभी तथ्यों के आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2025 न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.03.2025 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि सभी पुत्रों को पक्षकार बनाते हुए, उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के नियमों के अन्तर्गत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राजस्थान)